

## राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228066, फैक्स नं: 0141-2228065

ई-मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : प.04( )/आरएमएससी/पीए/2012/ १६२२

दिनांक : २६-०९-२०१२

समस्त जिला कलक्टर,, प्रिसीपल मेडिकल कॉलेज, एवं अधीक्षक,  
 समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

**विषय:-** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की फ्लेगशिप योजनाए “मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना” व “जननी शिशु सुरक्षा योजना” के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वृहद निरीक्षण करने के सम्बन्ध में।  
 (Two days district wide intensive inspection on 28 & 29.Sep.12)

राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना व जननी शिशु सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का लगभग एक वर्ष पूर्ण हो गया है। सभी के परिश्रम व अथक प्रयासों की वजह से इन्हे सफलतापूर्वक लागू एवं क्रियान्वित किया जा सका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य मुख्यालय पर जयपुर मे एवं सभी प्रभारी मंत्रीगण जिलों मे “जननी एक्सप्रेस”, एम्बुलेंस का 02 अक्टूबर को शुभारम्भ करेंगे व साथ ही 2 अक्टूबर 2012 को राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दवा वितरण केन्द्रों के कम्प्यूटराईजेशन का शुभारम्भ भी किया जाना है।

यह भी संभावित है कि प्रभारीमंत्रीगण द्वारा किन्ही अस्पतालों का निरीक्षण भी किया जा सकता है। अतः अपेक्षा है कि सभी जिला कलक्टर, प्रिसीपल मेडिकल कॉलेज, चिकित्सक अधीक्षक, राजकीय चिकित्सालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संयुक्त निदेशक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुडे अन्य अधिकारीगण अपने क्षेत्राधीन/जिले में स्थित सभी चिकित्सा संस्थानों का भ्रमण व निरीक्षण कर निम्न गतिविधिया सुनिश्चित कराएं।

## 1. आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना:-

- जिला औषधि भण्डार गृह पर उपलब्ध सभी दवाईयों को जिले में स्थित सभी चिकित्सा संस्थानों अर्थात् जिला अस्पताल से लेकर सब सेन्टर तक उनकी श्रेणी के अनुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
- अस्पताल में उपलब्ध दवाओं को सभी दवा वितरण केन्द्र, वार्ड, इमरजेन्सी रूम, लेबर रूम आदि स्थानों पर उपलब्ध कराएं।
- किसी औषधि की कमी होने पर उसे स्थानीय क्रय (Local Purchase) बजट से उपलब्ध कराए।

## 2. दवाओं का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करना:-

- सभी चिकित्सक, यथासम्बव जेनेरिक नाम से दवा लिखें व अस्पताल में उपलब्ध आवश्यक दवाओं को स्टेन्डर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाईन्स के अनुसार ही प्रिस्क्राईव करें।
- काउन्सलिंग व चेतावनी के बावजूद भी सरकार के निर्देशों की जानबूझ कर अवहेलना पाए जाने पर अनुशानात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए व ऐसे कार्मिकोक की सूची राज्य सरकार को भिजवाई जाए।

## 3. सुव्यवस्थित दवा वितरण करना:-

- सभी दवा वितरण केन्द्र साफ सुधरे हो, जिसमें औषधियों व्यवस्थित रूप से रखी हो।
- दवा वितरण केन्द्र पर फार्मासिस्ट, कम्प्यूटर आपरेटर आदि स्टाफ सफेद पोशाक में व परिचय पत्र (I-Card) के साथ हो।

- दवा वितरण केन्द्र पर कम्प्यूटर, डॉटमेट्रिक्स प्रिन्टर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, इन्टरनेट कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करे।
4. जननी शिशु सुरक्षा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन :-
- यह सुनिश्चित करे कि सभी प्रसूता महिलाओं को सभी प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध हो रही हैं। यदि दवाईया उपलब्ध नहीं है तो जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत जिलों को आवंटित बजट से स्थानीय स्तर पर क्रय (Local Purchase) किया जाना सुनिश्चित करें।
  - सभी महिलाओं को 1400/-, व 1000/- रूपये का भुगतान समय पर हो रहा है, यह सुनिश्चित करें।
  - यह सुनिश्चित करे कि सभी महिलाओं को रेफरल ट्रांसपोर्ट (Referral Transport) की सुविधा मिल रही है। यदि निजी वाहन से भी महिलाये आ रही हैं तो राज्य स्तर से निर्धारित राशि के अनुसार भुगतान सुनिश्चित कराये।
  - जिला अस्पतालों एवं CHCs में जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत शिकायत निराकरण (Grievance Redressal) की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
5. जननी एक्सप्रेस योजना के शुभारम्भ की तैयारी:-
- 02 अक्टूबर से प्रारम्भ हो रही जननी एक्सप्रेस के लिए वाहनों की स्थिति, क्षेत्र में उक्त योजना का प्रचार प्रसार एवं जिला स्तर पर की जाने वाली सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। संविदा वाहन चालक एवं एएनएम/आशा के आमुखीकरण की व्यवस्था भी समुचित रूप से निष्पादित करें।

अतः आप उपरोक्तानुसार अपने अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करे एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट दिनांक 01.10.12 सायं 6.00 बजे से पूर्व ई-मेल: [rmsc@nic.in](mailto:rmsc@nic.in) द्वारा मुख्यालय को भिजवाए।



(मुकेश कुमार शर्मा)  
प्रमुख शासन सचिव,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग  
एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ :-

- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनआरएचएम।
- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी।
- निदेशक जन स्वास्थ्य/आरसीएच, मुख्यालय, जयपुर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त।
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त।
- एजीएम आई टी समन्वित को मेल करवाने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।



(डॉ स्मित शर्मा)  
प्रबन्ध निदेशक  
आर.एम.एस.सी.